संख्या पी-13013/95/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

यूडीआईडी पोर्टल पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 59 के अनुसार पुनर्मूल्यांकन हेतु अपील के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) (www.swavlambancard.gov.in)

(1 जुलाई 2024 से प्रभावी)

यूडीआईडी परियोजना के विषय में: "विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)" परियोजना का उद्देश्य सभी दिव्यांगजनों के सामाजिक-आर्थिक ब्यौरे सहित उनके विवरण का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। यह परियोजना भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी "दिव्यांगजनों" को एक ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यूडीआईडी कार्ड जारी करने की सुविधा भी प्रदान करती है।

उद्देश्य: इस मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उद्देश्य यूडीआईडी पोर्टल (www.swavlambancard.gov.in) पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 59 के अनुसार दिव्यांगजनों को अपीलीय प्राधिकरण से संबंधित प्रक्रिया में शामिल चरणों को स्पष्ट करना है। एक आवेदक द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए अपील दायर की जा सकती है यदि वह निम्नलिखित कारणों से असंतुष्ट है:

क. यदि आवेदन दोषपूर्ण दस्तावेजों के कारण मूल्यांकन से पहले ही खारिज कर दिया जाता है या दिव्यांगजन मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हो, जैसा भी मामला हो,

दिव्यांगजनों को अपील प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस अस्वीकृति के बाद किसी भी समय स्वावलम्बन पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन कर सकता हैं।

ख. मूल्यांकन के बाद आवेदन अस्वीकृत किया गया।

ग. यूडीआईडी प्राप्त हुआ लेकिन दिव्यांगता के प्रकार, प्रतिशत, वैधता तिथि या दोनों से संतुष्ट नहीं है।

1. यूडीआईडी पोर्टल www.swavlambancard.gov.in पर जाएं ।

2. होम पेज पर, निम्नलिखित विवरण दर्ज करके अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करें - यूडीआईडी नंबर/नामांकन संख्या, जन्म तिथि, कैप्चा और लॉगिन बटन (ओटीपी आधारित) पर क्लिक करें।

3. संबंधित दिव्यांगजन द्वारा डैशबोर्ड में सफल लॉगिन पर, उपयोगकर्ता को "निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन करें" विकल्प पर क्लिक करना होगा और अपील के आधार का उल्लेख करना होगा। प्रमाणन प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति कार्ड जारी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। उसके बाद डैशबोर्ड में यह विकल्प दिखाई नहीं देगा।

4. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, जैसा कि नीचे पैरा 5 में उल्लेख किया गया है। अपील प्राप्त होने पर, आवेदन अपीलीय मेडिकल बोर्ड के डैशबोर्ड पर दिखाई देगा। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अपीलीय प्राधिकारी को अधिसूचित करने के लिए आदेश जारी करना है। अपीलीय प्राधिकारी राज्य द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील का निर्णय करेगा।

5. "अपील अनुरोध" के ऑनलाइन निपटान के उद्देश्य से "अपीलीय प्राधिकारी" नीचे दिए गए विकल्पों में से एक हो सकता है:

क. वही अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण (अस्पताल) जिसमें प्रारंभिक मूल्यांकन किया गया था लेकिन मेडिकल बोर्ड में भिन्न सदस्य होंगे।

अथवा

ख. 4-5 निकटवर्ती जिलों का एक समूह (क्लस्टर) बनाया जा सकता है और एक जिले के अपील मामलों को क्लस्टर के भीतर दूसरे जिले को भेजा जा सकता है, जैसा कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा तय किया गया है।

अथवा

ग. अपील अस्पताल उसी जिले/शहर का एक अन्य अस्पताल हो सकता है जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा यूडीआईडी/दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है।

द्वितीय मूल्यांकन करने वाले मेडिकल बोर्ड की सलाह को अंतिम माना जाएगा, भले ही अपील के दौरान मूल्यांकन दिव्यांगजन के प्रतिकूल या मूल मूल्यांकन के विपरीत पाया गया हो। इस संबंध में, यह सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया जाएगा कि "अपील विकल्प" का प्रयोग केवल एक बार किया जाए।

6. यूडीआईडी पोर्टल पर ऑनलाइन अपील अनुरोध दाखिल करते समय, यूडीआईडी कार्ड की प्राप्ति की स्थिति के संबंध में दिव्यांग आवेदक से पुष्टि ली जाएगी। दिव्यांगजन को "क्या कार्ड प्राप्त हुआ है" का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उत्तर होगा - (हां/नहीं)

    क. यदि आवेदक द्वारा "हां" चुना जाता है, तो स्क्रीन पर एक संदेश फ्लैश होगा जिसमें आवेदक को सलाह दी जाएगी कि दूसरे मूल्यांकन के समय पर पुराना कार्ड ले जाना अनिवार्य है। अपीलीय चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होते समय, दिव्यांगजन अपना मूल [प्रथम मूल्यांकन के बाद निर्मित] यूडीआईडी कार्ड (यदि प्राप्त हुआ हो) प्रस्तुत करेंगे। चिकित्सा प्राधिकारी, ऐसे कार्ड प्राप्त होने पर, दुरुपयोग को रोकने के लिए उक्त कार्ड को नष्ट कर देंगे।

7. एक बार जब अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपील का आवेदन संसाधित कर दिया जाता है और संशोधित कार्ड जारी कर दिया जाता है, तो डेटाबेस में मूल दिव्यांगता रिकॉर्ड स्वचालित रूप से पोर्टल पर निष्क्रिय हो जाएगा।

8. अधीक्षक/अध्यक्ष, अपीलीय चिकित्सा प्राधिकरण जब भी आवश्यक हो, सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों से निजी विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकते हैं, जैसा कि 14.03.2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित 2024 के संशोधित दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देश दिनांक 12.03.2024 में व्यवस्था की गई है।

9. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ऑनलाइन यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के बाद, डेटा को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मुद्रण एजेंसी के साथ साझा किया जाएगा।

10. डाटा प्राप्त होने के बाद प्रिंटिंग एजेंसी यूडीआईडी कार्ड प्रिंट कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिव्यांगजन के पते पर भेज देगी। दिव्यांगजन अपने डैशबोर्ड पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए यूडीआईडी कार्ड की स्थिति को भी ट्रैक कर सकेगा।

11. यदि अपीलीय बोर्ड द्वारा चिकित्सा मूल्यांकन के दौरान एक बार अस्वीकृत किए गए उम्मीदवार को

7. एक बार जब अपीलीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपील का आवेदन संसाधित कर दिया जाता है और संशोधित कार्ड जारी कर दिया जाता है, तो डेटाबेस में मूल दिव्यांगता रिकॉर्ड स्वचालित रूप से पोर्टल पर निष्क्रिय हो जाएगा।

8. अधीक्षक/अध्यक्ष, अपीलीय चिकित्सा प्राधिकरण जब भी आवश्यक हो, सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों से निजी विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकते हैं, जैसा कि 14.03.2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित 2024 के संशोधित दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देश दिनांक 12.03.2024 में व्यवस्था की गई है।

9. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ऑनलाइन यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के बाद, डेटा को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मुद्रण एजेंसी के साथ साझा किया जाएगा।

10. डाटा प्राप्त होने के बाद प्रिंटिंग एजेंसी यूडीआईडी कार्ड प्रिंट कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिव्यांगजन के पते पर भेज देगी। दिव्यांगजन अपने डैशबोर्ड पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए यूडीआईडी कार्ड की स्थिति को भी ट्रैक कर सकेगा।

11. यदि अपीलीय बोर्ड द्वारा चिकित्सा मूल्यांकन के दौरान, एक बार अस्वीकृत किए गए उम्मीदवार को फिर से अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो अस्वीकृति का कारण बताते हुए एक विस्तृत निदान रिपोर्ट अनिवार्य रूप से अपीलीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। अस्वीकृति का विवरण दिव्यांगजन के अस्वीकृति प्रमाण पत्र पर दिखाई देगा, जिसे वह अपने डैशबोर्ड के माध्यम से एक्सेस/डाउनलोड कर सकता है।

टिप्पणी:

i. कृपया ध्यान दें कि नाम, जन्मतिथि, फोटो, पता आदि में सुधार के मामले में अपील करने की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। दिव्यांगजन स्वावलंबन पोर्टल में लॉग इन करने के बाद ऑनलाइन तंत्र का उपयोग कर सकते हैं और पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है।

ii. यह एसओपी केवल मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड से संबंधित शिकायतों के लिए है। दिव्यांगजन द्वारा उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों आदि के लिए दिव्यांगजन आरक्षण कोटे के माध्यम से आवेदन करने की स्थिति में मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध अपील के लिए एक अलग एसओपी जारी किया जा रहा है।

iii. किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा ऑनलाइन अपील प्रक्रिया अपनाए जाने पर वहां अपील की सभी ऑफलाइन प्रथाएं बंद हो जाएंगी।

जसबीर सिंह

(जसबीर सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दिनांक: 19 जून, 2024